

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 55क : माल के अंतरण के साथ आपूर्ति का कर बीजक या प्रदाय का बिल

वाहन के भार साधक व्यक्ति नियम 46, 46क या यथास्थिति नियम 49 के उपबंधों के अनुसरण में जारी आपूर्ति के कर बीजक या प्रदाय का बिल की प्रति साथ रखेगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन ई-वे बिल साथ में रखना अपेक्षित नहीं है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा नियम 55क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)।